VEER BAHADUR SINGH PURVANCHAL UNIVERSITY

JAUNPUR - 222003 (U.P.)

vbspu.ac.in

Supporting Document (Maintenance Policy Departmental Level)

Criteria	**Criterion 4 – Infrastructure and Learning Resources**
Key Indicator	**4.4 Maintenance of Campus Infrastructure**
Metric 4.4.2	***There are established systems and procedures for maintaining and utilising physical, academic and support facilities - laboratory, library, sports complex, computers, classrooms etc.***

Index

S No	Content	Page Number	Description
1	**Maintenance Policy Departmental Level**	**Pages 1-2**	**Maintenance Policy of the University at the Departmental Level**

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,जौनपुर

Web Site:www.vbspu.ac.in Email.ID: fovbspu2015@gmail.com

पत्रांक–वि0अधि0/2918/2022 दिनांक–27.06-2022

कार्यालय आदेश

नैक मूल्यांकन के दृष्टिगत विश्वविद्यालय परिसर में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के विभागों के संकायाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों द्वारा विभागीय स्तर पर बतलायी गयी आवश्यकताओं की पूर्ति करने यथाः–कार्यालय संबंधी अनुरक्षण, प्रयोगशाला के उपकरणों का अनुरक्षण, फर्नीचर तथा उपकरण का अनुरक्षण, कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों का अनुरक्षण, कांफ्रेस रूम, पुस्तकालय में अनुरक्षण, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के केबिन/कक्षाओं में आवश्यकता के अनुरूप अनुरक्षण कार्य, आ0रो0, ए0सी0, कूलर, वाटर कूलर, पंखों का अनुरक्षण आदि कार्य सम्पादित कराये जाने के लिए धनराशि की मांग करते हुए पत्रालियायों प्रस्तुत की जाती है जिससे कार्य का भार बढ़ता है तथा समयानुसार उक्त कार्य सम्पन्न नहीं हो पाते हैं जिससे विश्वविद्यालयी कार्य प्रभावित होता है।

उक्त के संबंध में विश्वविद्यालय परिसर में सचालित पाठ्यक्रमों के संयोजक/विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष को कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत त्वरित रूप से कार्य कराने हेतु प्रत्येक विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष को रू0 2.00 लाख(दो लाख मात्र) का आवंटन अग्रिम के रूप में किये जाने का निर्णय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया गया हैः–

1. संयोजक/विभागाध्यक्षों/संकायाध्यक्षों को अग्रिम के रूप में प्रदान की जाने वाली धनराशि रू0 2.00लाख (दो लाख मात्र) का समायोजन संबंधित संयोजक/विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष द्वारा तीन माह के अन्दर वित्त विभाग को प्रस्तुत करना होगा।
2. इस संबंध में शासनादेश संख्या–ए–1864/ 10–08–15(1)–86, दिनांक–23.9.2008 तथा उ0प्र0 प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट आफ गुड्स) 2016 में वर्णित व्यवस्था के कम में सीधे अथवा कोटेशन के माध्यम से कय की कार्यवाही की जायेगी तथा यथा आवश्यकतानुसार जैम पोर्टल से भी कय की कार्यवाही की जा सकती है।
3. संबंधित संयोजक/विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष द्वारा सामग्री का कय कोटेशन के आधार पर अथवा सीधे कय के माध्यम से यथा आवश्यकतानुसार किया जायेगा। कय की जाने वाली सामग्री का अंकन भण्डार पंजिका (डेड स्टाक/लाईव स्टाक) में अंकन नियमानुसार किया जायेगा।
4. सामग्री का कय सुप्रतिष्ठित पंजीकृत फर्म के माध्यम से किया जायेगा।

Registrar
V.B.S. Purvanchal University
Jaunpur

5. कार्य कराये जाने के पूर्व कुलपति महोदया की स्वीकृति तथा सम्बद्ध प्राप्त की जायगी। किन्हीं कारणों से कार्य कराये जाने की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने की दशा में कार्य की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जायेगी।
6. किसी भी कार्य की पुनरावृत्ति/द्विवरावृत्ति नही की जायेगी। इस सबध मे संकायाध्यक्ष तथा विभागाध्यक्ष द्वारा आपसी समन्वय स्थापित किया जायेगा।
7. कार्य के सबध मे वित्तीय औचित्य के सिद्धान्त का अनुपालन सामान्यता किया जायेगा तथा मितव्ययता को दृष्टिगत रखा जायेगा।
8. अनुरक्षण का कार्य कराये जाने के सबध में विश्वविद्यालय के विकास अनुभाग के मानव संसाधन यथा–सहायक अभियन्ता, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर आदि का उपयोग यथा सम्भव किया जायेगा।
9. प्रश्नगत प्रकरण मे कराये गये कार्यो का निरीक्षण समय–समय पर सहायक कुलसचिव (विकास/स्टोर) द्वारा किया जायेगा।
10. प्रश्नगत आवंटित धनराशि से ऐसा कोई कार्य नही कराया जायेगा जो विश्वविद्यालय के विकास अनुभाग अथवा केन्द्रीय भण्डार द्वारा कराये जा रहे कार्यों से आच्छादित हो अथवा किसी पूर्व स्वीकृत अग्रिम के मदों से आच्छादित हो।
11. संबधित संयोजक/विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष द्वारा संलग्न प्रारूप पर समायोजन प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा (छाया प्रति संलग्न)।

संबधित संकायाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों को उपरोक्त कार्यों को सम्पादित कराये जाने के निमित्त (संलग्न सूची के अनुसार) धनराशि रू0 2.00 लाख (दो लाख मात्र) एतद् द्वारा तीन माह में समायोजन कराने की शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्लक–यथोक्त।

(संजय कुमार राय)
वित्त अधिकारी

पृष्ठांकन संख्या–वि0अधि0/ 2918 /2022, तद् दिनांक–27.11.2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त संकायाध्यक्ष,वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,जौनपुर
2. समस्त विभागाध्यक्ष,वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,जौनपुर।
3. संयोजक–आईक्यूएसी,वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,जौनपुर।
4. समस्त संयोजक,(बी0काम0आनर्स,बी0सी0ए0,बी0एस–सी0) वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,जौनपुर।
5. कुलसचिव, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,जौनपुर।
6. परीक्षा नियंत्रक, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर
7. समस्त सहायक कुलसचिव,वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,जौनपुर।
8. निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
9. प्रभारी केन्द्रीय भण्डार।
10. पटल सहायक, वित्त विभाग

वित्त अधिकारी

Registrar
V.B.S. Purvanchal University
Jaunpur